



रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल न्यायाधीश महोदय, इंदौर के समक्ष

R - 842 - II / 09

पुनरिक्षण याचिका

प्रस्तुती दिनांक 24.6.2009  
Pr 24/6/09

कृष्णगोपाल पिता नंदलाल जी मेडतवाल

आयु- 49 साल, पंथा- व्यापार

निवासी- 30 वेयर हाऊस रोड, सियांगंज इन्दौर -- प्रार्थी

श्री हरिश पवार  
वकील/अभिज्ञान  
को प्रस्तुत 24/6/09

विरुद्ध

बाबुलाल पिता रामचन्द्र पतालिया

निवासी- 32, वेयर हाऊस रोड, सियांगंज

इन्दौर

--- प्रतिप्रार्थी 24/6/09

पुनरिक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 52 मध्य प्रदेश लेण्ड रेवेन्यु कोड  
सहपठित धारा 33 स्टाम्प अधिनियम के तहत ।



विलोपित



19.2.2015

आवेदक की ओर से सूचना उपरोक्त  
कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार  
लगवाई गई, फिर भी कोई भी उपस्थित  
नहीं। अतः प्रकरण अफम रैली में  
निरस्त किया जाता है।

आयुक्त

11/9/15

11/9/15

11/9/15

11/9/15